<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 4794

23 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्रों की रक्षित खानें

4794. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायणः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) इस्पात संयंत्रों को संचालित करने के लिए रक्षित खानों संबंधी गंभीर समस्या का सामना कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ओडिशा खनन निगम (ओएमसी) से लौह-अयस्क आबंटित करने के लिए आरआईएनएल के अनुरोध पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या आरआईएनएल और ओएमसी के बीच किसी समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस हेतु किसी खनन निगम/कंपनी या एनएमडीसी में स्थायी लौह-अयस्क खानों को आबंटित करने के लिए किन्हीं वैकल्पिक कदमों पर विचार कर रही है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): आरआईएनएल अपनी आवश्यकता के लिए एनएमडीसी, ओएमसी इत्यादि से लौह अयस्क मंगा रहा है।

(ख): सरकार को आरआईएनएल से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग): आज की तिथि तक आरआईएनएल और ओएमसी के बीच दीर्घावधि आधार पर लौह अयस्क की आपूर्ति के लिए किसी भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

(घ): आरआईएनएल ने विभिन्न राज्य सरकारों अर्थात् ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों से एमएमडीआर अधिनियम, 2015 की धारा 17क(2क) के तहत लौह अयस्क भंडार को आरक्षित करने का अनुरोध किया है। इस्पात मंत्रालय ने लौह अयस्क का सुनिश्चित भंडार स्थापित करने के लिए आरआईएनएल के पक्ष में लौह अयस्क के ब्लॉकों के आरक्षण के लिए खान मंत्रालय के साथ भी बात की है।

****